

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(254) वित्त-1(1)आ.व्यय/2011/

जयपुर, दिनांक : 21.03.14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या -8/13/2013-14)

विषय:-13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(13) ले.ब./परावि/ते.वि.आ./13-14/1738 दि. 19.03.14 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 67/13-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 301985400.00 (अक्षरों में राशि रु. तीस करोड़ उन्नीस लाख पियासी हजार चार सौ) मात्र निम्न बजट मद से प्रभावित करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके समुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

भाग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(14)-तेहखे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों
के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान

[02]-कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायताार्थ अनुदान (गैर संदेतन)

(आयोजना भिन्न) संलग्न सारणी 'अ' के अनुसार

भाग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197 -ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(06)-तेहखे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों
के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान

[01]-कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायताार्थ अनुदान (गैर संदेतन)

(आयोजना-भिन्न) संलग्न सारणी 'ब' के अनुसार

राशि रु. में

60396740.00

241588660.00

कुल योग

301985400.00

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति पत्र क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खातों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(एम.एल. आचार्य)

उपशासन सचिव (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियां सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।
6. अनुभागधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

उपशासन सचिव वित्त (बजट)